



गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा)

सेक्टर-7, गीडा, गोरखपुर

ईमेल-आईडी : ceogida-up@up.gov.in/ceogida@rediffmail.com

पत्रांक : /सम्पत्ति-नौ/कार्या0ज्ञाप/2023-2024, दिनांक : 14 मार्च, 2024

कार्यालय-ज्ञाप

गीडा प्राधिकारी बोर्ड की दिनांक 04.03.2024 को सम्पन्न 60वीं बैठक के प्रस्ताव संख्या 60:15 पर लिये गये निर्णय के क्रम में गीडा द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं यथा-औद्योगिक योजना, व्यवसायिक/ट्रांसपोर्ट नगर योजना, आवासीय योजना एवं संस्थागत योजना में आवंटित भूखण्डों पर दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 31.12.2024 तक निम्नवत् दर पर रख-रखाव शुल्क (मेन्टीनेन्स चार्ज) लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

क्र0 सं0	योजना का नाम	दर/वर्ग मीटर/वर्ष
1	औद्योगिक भूखण्ड	रु0 12.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
2	संस्थागत भूखण्ड	रु0 12.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
3	आवासीय भूखण्ड	रु0 24.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष
4	व्यवसायिक/ट्रांसपोर्ट नगर भूखण्ड	रु0 36.00 प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष

उपरोक्त व्यवस्था गीडा द्वारा संचालित की जा रही सभी योजनाओं में पूर्व में आवंटित किये गये अथवा भविष्य में किये जाने वाले आवंटनों पर तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

(अनुज मलिक),
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक : 22 /उपरोक्त/दिनांकित।

प्रतिलिपि :-

1. मण्डलायुक्त, गोरखपुर/अध्यक्ष, गीडा महोदय के सादर अवलोनार्थ।
2. अध्यक्ष, चैम्बर ऑफ इण्डस्ट्रीज, गोरखपुर को सूचनार्थ।
3. अध्यक्ष, लघु उद्योग भारती, गोरखपुर को सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, गीडा।
5. महाप्रबन्धक (वित्त), गीडा।
6. सहायक महाप्रबन्धक (प्र0/सा0), गीडा।
7. समस्त प्रबन्धक (प्र0/सा0), सम्पत्ति अनुभाग, गीडा।
8. समस्त सहायक/कनिष्ठ सहायक/पटल प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग, गीडा।
9. प्रभारी (कम्प्यूटर), गीडा को इस निर्देश के साथ कि इस कार्यालय ज्ञाप को तत्काल गीडा की वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए साफ्टवेयर में आवश्यक सुशोधन कराये।
10. सूचना पट्ट पर चस्पा हेतु।
11. गार्ड फाईल हेतु।

प्रबन्धक / सहायक प्रबन्धक
कार्यालय-ज्ञाप
21/03/2024

(अनुज मलिक),
मुख्य कार्यपालक अधिकारी